छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1192/2007

1. श्री विनय कुमार मित्रा, – *अपीलार्थी*
ई–9, आदर्श नगर, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
शाखा–भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 12 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विनय कुमार मित्रा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, शाखा भिलाई के समक्ष दिनांक 04.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित बताकर उक्त जानकारी देने से अस्वीकार किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 09.10.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 05.11.2007 के आदेश के द्वारा उक्त अपील अस्वीकार की गई, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.12.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 23.09.2008 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में तृतीय पक्ष को भी सुनवाई का नोटिस जारी किया गया था, किन्तु उनके द्वारा नोटिस लेने से इंकार करने के कारण बिना तामिली लौटा, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई । प्रकरण में विधि विभाग की एक राय को आधार लेकर प्रारंभिक आपत्ति प्रति अपीलीर्थी द्वारा यह की गई कि सूचना का अधिकार अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है और इसके अन्तर्गत वह लोक प्राधिकारी नहीं है, किन्तु विधि विभाग की यह राय काफी अस्पष्ट है और उसमें भी निजी क्षेत्र के सहकारी बैंक पर लागू नहीं होना बताया गया है, जबकि जिला सहकारी बैंक को निजी क्षेत्र का सहकारी बैंक नहीं माना जा सकता और उन पर यह सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है तथा नियमों के अन्तर्गत यह लोक प्राधिकारी भी है। प्रकरण में स्वयं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में जमानत संबंधी कुछ जानकारी देने का आदेश दिया है, अतः उस आधार पर वे इस तर्क का सहारा अपने पक्ष में नहीं ले सकते हैं, अतः उनका यह तर्क अमान्य किया जाता है। प्रति अपीलार्थी का उनका दूसरा तर्क यह है कि तृतीय पक्ष की अनुमति के बिना किसी खातेदार की जानकारी नहीं दी जा सकती है, किन्तु इस संबंध में जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में जमानत संबंधी जानकारी देने का आदेश दिया था तो उस आदेश का पालन भी किया जाना

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

चाहिए था, किन्तु जन सूचना अधिकारी द्वारा उस आदेश का पालन नहीं किया गया, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है । चूंकि तृतीय पक्ष को भी नोटिस दिया गया था और तृतीय पक्ष ने आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुये और उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई है । अतः इस प्रकरण में चूंकि एक ऋणी द्वारा ऋण लिया गया है और अपीलार्थी की माता जमानतदार थी, इस आधार पर उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जा रही है, अतः उनके द्वारा ऋण और जमानत के संबंध में जो जानकारी चाही जा रही है, उसमें किसी बैंक की गोपनीयता अथवा तृतीय पक्ष के तर्क उसके आड़े नहीं आ सकते हें और उन्हें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है । सूचना का अधिकार अधिनियम में पारदर्शिता की आवश्यकता के महत्व को तो प्रतिपादित किया गया, उसमें बैंक द्वारा यह जानकारी देने से इंकार नहीं किया जा सकता है । अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी का उन्हें निःशुल्क अवलोकन कराया जावे और उसके बाद चूंकि जानकारी बहुत अधिक विस्तृत है, अतः उसमें से जो जानकारी वे लेना चाहते हैं, उसमें से राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे और अधिक की चाहते है तो शुल्क जमा कराकर उन्हें दी जावे । चूंकि प्रकरण में जानकारी नहीं देने के पीछे किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रति अपीलार्थी ने एक तर्क यह दिया था कि अपीलार्थी ने उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त जानकारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही दी जावे । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत बैंक की ओर से राशि 400/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com